



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 45 अंक 18

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

1 नवम्बर, 2022

फोन : 0141-2368398

मूल्य : 2.00

वार्षिक शुल्क 40 रु

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर ।

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण राष्ट्रीय निगमों नई दिल्ली के माध्यम से दिया जाता है। राष्ट्रीय निगमों को ऋणों की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। साथ ही निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत अनुदान एवं ऋण - बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

निगम द्वारा संचालित योजनाएं एवं गतिविधियाँ

(अ) विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत संचालित योजनाएं (केवल अनुसूचित जाति हेतु)

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु अनुदान इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपये 10,000/- में जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान हेतु शत-प्रतिशत राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है। यह राशि अनुसूचित जाति उप योजना (Scheduled Castes Sub Plan) शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होती है।

आवेदक की पात्रताएं -

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हो।
2. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष (गैर बैंकिंग योजना में अधिकतम आयु 65 वर्ष) होनी चाहिए।
3. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो अथवा वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु. 54,300/- तथा शहरी क्षेत्र में रु. 60,120/- से अधिक नहीं हो, अथवा उक्त आय के समकक्ष।
4. आवेदक द्वारा पूर्व में अनुजा निगम की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो।
5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम/ बैंक अथवा सरकार का अवधिपर ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।

I. बैंकिंग योजना -

आवेदक शहरी क्षेत्र हेतु संचालित योजनाओं के लिए नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित पंचायत समिति से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण कर नगर पालिका/ नगर परिषद / नगर निगम / पंचायत समिति अथवा सीधे ही संबंधित परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं तथा परियोजना प्रबन्धक प्राप्त आवेदन पत्र की संवीक्षा

कर बैंकों में ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित करते हैं। ऋण स्वीकृति के पश्चात् परियोजना प्रबन्धकों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत अनुदान की स्वीकृति जारी की जाती है। बैंकिंग योजना में निम्न गतिविधियों के लिए आवेदन किया जाता है।

1. पैकेज ऑफ प्रोग्राम योजना (शहरी एवं ग्रामीण) :-

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकतानुसार लघु एवं मध्यम श्रेणी के ऋण नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैं। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों की भाँति बकरी पालन व्यवसाय के लिए भी ऋण दिलाया जा सकता है। जिसमें दो बकरियों की एक इकाई (यूनिट) बनाकर बैंक से ऋण दिलाया जा सकता है। व्यवसायों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

2. ऑटोरिक्शा/ई-रिक्शा योजना :-

ऑटोरिक्शा/ई-रिक्शा इकाई हेतु लागत कोटेशन के अनुसार स्वीकृति की जाती है, जिसके विरुद्ध लागत का 90 प्रतिशत तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है, शेष राशि आवेदनकर्ता को स्वयं वहन करनी होती है।

3. व्यक्तिगत पम्पसेट योजना :-

लघु एवं सीमांत कृषकों को स्वयं/ सहखेतेदार की भूमि पर सिंचाई के साधन विकसित करने की दृष्टि से पम्पसेट मय सहायक सामग्री के उपलब्ध कराये जाते हैं, जिसके लिए ऋण आवेदकों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। पम्पसेट की लागत के अनुसार बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4. उन्नत नस्ता गाय/भैंस/बकरी योजना :-

डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए उन्नत नस्त की गाय को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना की इकाई लागत नाबाड द्वारा निर्धारित की जाती है। गाय/भैंस/ बकरी को रखने हेतु शेड का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा कराया जाता है। डेयरी कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्नत नस्त की भैंस/गाय/बकरी हेतु राशि बैंक ऋण से उपलब्ध करायी जाती है। नाबाड द्वारा निर्धारित की गई इकाई लागत की राशि के अनुसार बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

5. मुद्रा ऋण योजना:-

जिन अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों द्वारा मुद्रा योजना के तहत ऋण लिया गया है, उन्हें भी वर्ष 2018-19 से उक्त योजना में 10,000/- रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जावेगा।

II गैर बैंकिंग योजना -

इस योजना में आवेदक को केवल इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 10,000/- का अनुदान विशेष

केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। गैर बैंकिंग योजनाओं में आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद नगर निगम से निःशुल्क प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज के साथ उसी कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत समिति से आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर उसी पंचायत समिति में आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करवाए जा सकते हैं। नगर पालिका/नगर परिषद नगर निगम / पंचायत समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर स्वीकृति हेतु संबंधित जिला परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम को भिजवाए जाते हैं अथवा निगम के जिला कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित निगम कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा नियमानुसार विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में अनुदान की राशि रु 10,000/- स्वीकृत की जाती है।

1. कार्यशाला/दुकान योजना -

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्हें पारम्परिक शिल्प में प्रशिक्षण प्राप्त हो या पारम्परिक रूप से शिल्पकार/दस्तकार हों, वे ही इस योजना के लिए पात्र हैं। प्रार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये जिस पर वह कार्यशाला/दुकान बनाना चाहता है। कार्यशाला के निर्माण करने पर विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत रु 10,000/- का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

2. कृष विद्युतीकरण/सौर उर्जा योजना :-

कृषकों के कुओं का विद्युतीकरण करने में सहायता प्रदान कर सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। कृषि भूमि लाभार्थी के स्वयं के नाम से हो अथवा लाभार्थी स्वयं कृषि भूमि का खातेदार सह खातेदार होना चाहिए। लाभार्थी लघु/सीमांत कृषक की परिभाषा में आता हो एवं स्वयं का कुंआ हो, वह इस योजना का लाभ लेने का पात्र है। कुओं का विद्युतीकरण कराने पर विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत रु 10,000/- का अनुदान दिया जाता है। पूर्व निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष में शिथिलता प्रदान करते हुए अधिकतम आयु सीमा हटा दी गई है।

3. आधुनिक कृषि यंत्र योजना :-

कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य से आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाला व्यक्ति लघु/सीमांत कृषक होना चाहिए। कृषक अपनी आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक किस्म के आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर ले सकता है लेकिन अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 10,000/- होगी।

4. बकरी पालन:-

योजनान्तर्गत बकरी पालन के लिए यदि अनुसूचित जाति के पात्र

(शेष पृष्ठ 8 पर)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: विज्ञापन सं. 11/परीक्षा/F.S.O./Med. & Health/ EP-I/2022-23

दिनांक : 21.10.2022

आयोग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग के लिए नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1985 के अन्तर्गत तथा टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) के कुल 200 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

Post Sr. No.	कुल पदों की संख्या	Gen. (UR)				S.C.			S.T.			B.C.			M.B.C.			E.W.S.			Horizontal Reservation															
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रता	विशेष योग्यजन	भूतपूर्व सैनिक													
1	NON TSP- 179 Sahariya - 03	45	13	5	1	20	6	2	0	15	5	2	0	26	8	3	1	6	2	1	0	12	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD/CP-7	21
2	TSP- 18	6	2	1	0	1	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD/CP-1	2

Abbreviations Used : Gen. - General, UR- Unreserved, S.C. - Scheduled Castes, S.T.- Scheduled Tribes, B.C. - Backward Classes, M.B.C.- More Backward Classes, E.W.S. - Economically Weaker Sections, LD/CP - Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.

विशेष नोट :-

- टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी नॉन टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाम देय नहीं होगा। टी.एस.पी. क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। टी.एस.पी क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे। यदि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से टी.एस.पी. क्षेत्र को प्राथमिकता देवे।
- सहरीया क्षेत्र के 03 पद राजस्थान राज्य के बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरीया आदिम जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है। इसलिए उक्त पदों हेतु केवल राजस्थान राज्य के बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरीया आदिम जाति के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की यद्यपि रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए गणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्तर्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में घयनित महिला को भी पहले महिला कोट के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आनेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समाप्त संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाम राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाम देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाम नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) A degree in Food Technology or Dairy technology or Biotechnology or Oil Technology or Agriculture Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Masters Degree in Chemistry or Degree in Medicine from a recognized University.

or

any other equivalent/recognized qualification notified by the Central Government; and

- (ii) has successfully completed training as specified by the Food Authority in a recognized institute or institution approved for the purpose;

(Note:- There is no requirement for training prior to selection. This training shall be provided to the selected candidates during probation period.)

Provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import or sale of any article of food shall be appointed to be a Food Safety Officer under these rules.

2. Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthan Culture.

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
वेतन पे-मैट्रिक्स लेवल	पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay - 4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। नोट :- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार की रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

(क्रमशः)



रेलवे भर्ती सेल, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

स्काउट एवं गाइड कोटा 2022-23 के अन्तर्गत भर्ती

रोजगार सूचना सं.-एनईआर/आरआरसी/एसजी/2022-23 दिनांक 22.10.2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि-21.11.2022 (5.00 बजे अपराह्न)

पूर्वोत्तर रेलवे एवं बनारस रेल इंजन कारखाना (बीएलडब्ल्यू), वाराणसी में स्काउट एवं गाइड कोटा के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 के लिए लेवल-2 (छठवें वेतन आयोग का ग्रेड पे र. 1900) में ग्रुप-सी पदों तथा लेवल-1 (छठवें वेतन आयोग का ग्रेड पे र. 1800) में पूर्ववर्ती ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

(1) पदों की संख्या:-पदों का विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	इकाई/ मंडल	ग्रुप-सी पदों की संख्या (लेवल-2, छठवें वेतन आयोग का ग्रेड पे र. 1900)	पूर्ववर्ती ग्रुप-डी पदों की संख्या (लेवल-1, छठवें वेतन आयोग का ग्रेड पे र. 1800)
1.	पूर्वोत्तर रेलवे	02	-
2.	बीएलडब्ल्यू, वाराणसी	01	02
3.	इज्जतनगर मंडल, पूरु	-	02
4.	लखनऊ मंडल, पूरु	-	02
5.	वाराणसी मंडल, पूरु	-	02

नोट- (क) किसी समुदाय विशेष के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। (ख) अभ्यर्थी ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं परन्तु ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी पदों के लिए अलग-अलग आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

(2) अनिवार्य योग्यताएं:-**(क) शैक्षिक:-**(i) ग्रुप-सी पदों के लिए: टेक्नीशियन-III पदों के लिए: मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष के साथ संगत ट्रेड में आईटीआई (एससीवीटी/एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त)। अन्य पदों के लिए: 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष। अजा, अजजा, भूतपूर्व सैनिकों तथा 12वीं कक्षा से उच्चतर शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए 12वीं में 50% अंकों की बाध्यता नहीं होगी। (ii) ग्रुप-डी पदों के लिए: मैट्रिकुलेशन (10वीं) अथवा इसके समकक्ष। (ख) स्काउटिंग- (i) प्रेसीडेंट स्काउट/ गाइड/रोवर/रैंजर अथवा किसी भी सेक्शन में हिमालयन बुडू बैज (एचडब्ल्यू) धारक। (ii) पिछले पांच वर्षों से किसी स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। (सक्रियता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप जो पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा, उत्सर्ज होना चाहिए) (iii) राष्ट्रीय स्तर अथवा अखिल भारतीय रेल स्तर पर दो स्पर्धाओं (इवेंट्स) में एवं राज्य स्तर पर दो स्पर्धाओं (इवेंट्स) में शामिल होना चाहिए।

(3) आयु: (i) ग्रुप सी पदों हेतु - 18 - 30 वर्ष, (ii) ग्रुप डी पदों हेतु - 18 - 33 वर्ष। आयु की गणना 01.01.2023 की तिथि पर की जायेगी। वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर आयु में छूट निम्नानुसार है: (क) अजा/अजजा अभ्यर्थियों को 05 वर्ष (ख) अपिब अभ्यर्थियों को 03 वर्ष (ग) भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने साक्षात्कार के पश्चात न्यूनतम 06 माह की सेवा पूरी की हो, को सेना में की गयी सेवा की अवधि में 03 वर्ष जोड़कर (घ) 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सामान्य निवासी रहे अभ्यर्थियों को 05 वर्ष (ङ) विकलांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष (अज/अजजा को 15 वर्ष एवं अपिब को 13 वर्ष) (च) विधवा, तलाकशुदा तथा महिला एवं न्यायिक रूप से पति से पृथक महिला जिसने पुनर्विवाह न किया हो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा अजा/अजजा के लिए 40 वर्ष, अपिब के लिए 38 वर्ष तथा अना. के लिए 35 वर्ष होगी। (छ) न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा कर चुके सेवारत रेल कर्मचारी, आकस्मिक श्रमिक एवं एडजी के लिए अधिकतम आयु सीमा अजा/अजजा के लिए 45 वर्ष, अपिब के लिए 43 वर्ष एवं अना. के लिए 40 वर्ष होगी। (ज) रेलवे के अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा की कुल अवधि तक जो अधिकतम 05 वर्ष होगी।

(4) आवेदन कैसे करें : ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व रोजगार सूचना में दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय वेबपेज पर दी गयी क्रमवार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए। सभी वांछित खाने सावधानी पूर्वक भरे जाने चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन करते समय स्वयं का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर को स्कैन करके निर्धारित स्थान पर अवश्य अपलोड करें।

(5) परीक्षा शुल्क : (i) निम्नलिखित उप पैरा (ii) में उल्लिखित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों हेतु रु. 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) परीक्षा में वास्तविक रूप से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को रु. 400 वापस कर दिये जायेंगे। (ii) अजा, अजजा, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, महिला, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु रु. 250/- (दो सौ रुपये मात्र)। लिखित परीक्षा में वास्तविक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों को रु. 250/- वापस कर दिया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन के वेब पेज पर दिये गये निर्देश के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया जाना चाहिए। निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी पुनः लॉगिन कर अपने आवेदन पत्र की एक प्रति अवश्य प्रिंट कर लें।

(6) चयन का तरीका एवं भर्ती प्रक्रिया : स्काउट एवं गाइड कोटा के अन्तर्गत भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा-

(क) लिखित परीक्षा (60 अंक) : ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी पदों के लिए अलग-अलग लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा में स्काउट एवं गाइड संगठन तथा उसकी गतिविधियों और सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) एवं एक निबंधरूपीय प्रश्न (20 अंक) निम्नलिखित पैरा-7 में दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार होगा।

(ख) प्रमाण पत्रों पर अंक (40 अंक) : (i) राष्ट्रीय स्पर्धाओं (नेशनल इवेंट्स)/राष्ट्रीय जम्बूरी (अखिल भारतीय रेल स्पर्धाओं सहित) में प्रतिभागिता/प्रदत्त सेवायें:- (अ) प्रथम दो प्रमाण पत्रों हेतु (जो कि न्यूनतम अर्हता है)-कोई अंक नहीं (ब) एक अतिरिक्त स्पर्धा हेतु 07 अंक (स) दो अथवा अधिक अतिरिक्त स्पर्धाओं हेतु 10 अंक। (ii) राज्य स्पर्धाओं/रैलियों में प्रतिभागिता/प्रदत्त सेवायें:- (अ) प्रथम दो प्रमाण पत्रों हेतु (जो कि न्यूनतम अर्हता है)-कोई अंक नहीं, (ब) एक अतिरिक्त स्पर्धा हेतु 07 अंक, (स) दो अथवा अधिक अतिरिक्त स्पर्धाओं हेतु 10 अंक। (iii) राष्ट्रीय/राज्य/अखिल भारतीय रेल स्तर पर आयोजित विशिष्ट स्काउट/गाइड कोर्स:- (अ) एक कोर्स हेतु 07 अंक, (ब) दो अथवा अधिक कोर्स हेतु 10 अंक। (iv) जिला रैलियों में प्रतिभागिता:- (अ) एक प्रमाण पत्र हेतु कोई अंक नहीं, (ब) दो प्रमाण पत्रों हेतु 07 अंक, (स) तीन प्रमाण पत्रों हेतु 10 अंक।

अधिसूचित रिक्तियों के अनुरूप अन्तिम नामिका मेरिटक्रम पर आधारित होगी जो कि लिखित परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(7) पाठ्यक्रम: स्काउटिंग/गाइडिंग का इतिहास, नियम एवं प्रतिष्ठा, संगठन: जिला एवं राज्य स्तर, ट्रेनिंग सेंटर: जिला एवं राज्य स्तर, पुस्तकों का ज्ञान, स्काउटिंग फार ब्यायज, भारत में गाइडिंग फॉर गर्ल्स, सिद्धांत (मोटो), बायों हाथ मिलाना, सैल्यूट, प्रार्थना, झण्डा गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय एवं स्काउटिंग झण्डे को जानना, विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवायें, हाइकिंग, प्रोफिशियेंसी बैज एवं इन्हें कैसे अर्जित किया जाता है, स्काउटिंग/गाइडिंग में स्टेज, चिन्तन दिवस, स्काउट्स/गाइड्स/रोवर/रैंजर्स की प्रोप्रेसिव ट्रेनिंग, पायनियरिंग, हस्तकला, भारतीय रेलवे जम्बोरेट, राष्ट्रीय जम्बूरी, जम्बूरी आन द एयर, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, वैग्स/वोज, उपराष्ट्रपति अर्वा प्रतियोगिता, प्रधानमंत्री शीलू प्रतियोगिता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्काउटिंग के उद्देश्य और विधि। बेहतर नागरिक बनाने में स्काउटिंग कैसे उपयोगी है।

(8) सामान्य शर्तें : (i) आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह सभी योग्यता शर्तों को पूरा करता है। आवेदन करने की तिथि के बाद अर्जित अर्हताएं मान्य नहीं होंगी। (ii) आवेदन पत्र में प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर भर्ती की न्यूनतम अर्हता/शर्त पूरी करने पर ही अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। (iii) गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छुपाने का प्रयास करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य करार दिया जायेगा एवं उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी तथा घोषणा करने अथवा प्रतिरूपण का प्रयास करने वाले अभ्यर्थी को भविष्य में रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित भी कर दिया जायेगा। (iv) नियुक्ति के लिए विचारणीय अभ्यर्थियों को रेलवे द्वारा आयोजित निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। (v) चयन होने एवं भर्ती/नियुक्ति के लिए अनुसूचा किये जाने मात्र से अभ्यर्थियों को रेलवे में भर्ती का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। (vi) अजा एवं अजजा समुदाय के अभ्यर्थियों को भर्ती के किसी चरण में बुलाये जाने पर उन्हें उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित निकटतम रेलवे स्टेशन से निःशुल्क द्वितीय श्रेणी यात्रा प्राप्त जारी किया जायेगा। (vii) स्काउट एवं गाइड कोटा के अन्तर्गत भर्ती लिपिक श्रेणी के कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के अन्दर टाइपिंग की निर्धारित दक्षता परीक्षा पास करनी होगी तथा उनकी नियुक्ति निर्धारित समयवाधि में टाइपिंग अर्हता अर्जित करने की शर्त पर प्रोविजनल होगी। निर्धारित समयवाधि में टाइपिंग अर्हता अर्जित न करने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

नोट-(1) रोजगार सूचना के अंग्रेजी एवं हिन्दी रूपों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी रूप ही मान्य होगा। (2) अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, निःशुल्क रेल यात्रा प्राप्त जारी किये जाने, सूची सूचना के लिए दण्ड, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्र के आवंटन तथा भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित सभी मामलों में रेलवे भर्ती सेल, पूर्वोत्तर रेलवे का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार की पूछताछ या पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा। (3) इस रोजगार सूचना से सम्बंधित किसी प्रकार के विधिक मामले में सुनवाई का क्षेत्राधिकार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद होगा। (4) अभ्यर्थियों को इस संबंध में अद्यतन जानकारी हेतु पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी जाती है। (5) यह रोजगार सूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सेल, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर



केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई
 फोन: 022-22820427; फैक्स: 022-22820411; ई-मेल: crpd@sbi.co.in
 सारकल रिथत अधिकारियों की भर्ती
 विज्ञापन सं. CRPD/CBO/2022-23/22

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का भुगतान : 18.10.2022 से 07.11.2022 तक

भारतीय स्टेट बैंक में नियमित आधार पर सरकल स्थित अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों को आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को लागू सरकल में ही तैनात किया जाएगा।

नियमित रिक्तियाँ

सरकल	राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश	भाषा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ. पि. व.	ईडब्ल्यूएस	सामा.	कुल	बीआई	एचआई	एलडी	डी और ई
मोपाल	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	हिन्दी	26	13	47	17	72	175	2	2	2	1
भुवनेश्वर	ओडिशा	उड़िया	26	13	47	17	72	175	2	2	2	1
हैदराबाद	तेलंगाना	तेलुगु	26	13	47	17	72	175	2	2	2	1
जयपुर	राजस्थान	हिंदी	30	15	54	20	81	200	2	2	2	2
कोलकाता	पश्चिम बंगाल/सिक्किम/अ.पि. द्वीप समूह	बंगाली/नेपाली	26	13	47	17	72	175	2	2	2	1
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र/गोवा	मराठी/कोंकणी	30	15	54	20	81	200	2	2	2	2
उत्तर पूर्व	असम/अरुणाचल प्रदेश/मणिपुर/मेघालय/मिजोरम/नागालैंड/त्रिपुरा	असमिया/बंगाली/बोडो/मणिपुरी/गारो/खासी/मिजो/कोकबोरोक	45	22	81	30	122	300	3	3	3	3
कुल			209	104	377	138	572	1400	15	15	15	11

बैकलॉग रिक्तियाँ

सरकल	राज्य	भाषा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ. पि. व.	कुल	बीआई	एचआई	एलडी	डी और ई
मोपाल	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	हिंदी	0	0	8	8	0	1	0	2
हैदराबाद	तेलंगाना	तेलुगु	0	1	0	1	0	5	0	5
जयपुर	राजस्थान	हिंदी	0	0	1	1	1	1	0	1
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र/गोवा	मराठी/कोंकणी	0	12	0	12	1	2	0	4
कुल			0	13	9	22	2	9	0	12

संक्षिप्तार : अ.जा. - अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. - अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामा. - सामान्य श्रेणी, पीडब्ल्यूबीडी - बैचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, बीआई - दृष्टिबाधित, एचआई - श्रवण बाधित, एलडी - लोमोमोटर दिव्यांग, डीएडई - आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2018 की धारा 34 (1) के डीएडई अनुच्छेद के अंतर्गत पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियां, जो इस पद के लिए उपयुक्त हों, विशिष्ट शिक्षण विचार (एसएलडी), मानसिक रोग (एमआई), ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (माइल्ड) - एसडी (एम) और एलडी, वीआई, एचआई, एसएलडी, एचआई एवं एसडी (एम) के बीच एकाधिक दिव्यांगता है।

- उपरोक्त रिक्तियाँ अनंतिम हैं और वे बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
- उम्मीदवार को केवल एक मंडल की रिक्ति के लिए आवेदन करना होगा। एक मंडल की रिक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी अन्य मंडल की रिक्ति के लिए आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- आवेदन की उम्मीदवारी पर केवल उस मंडल में रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा, जिसके लिए उसने आवेदन किया है/पुना है। प्राथम्य सूची मंडल वार और श्रेणी वार तैयार की जाएगी।
- चयनित उम्मीदवारों को उस मंडल में तैनात किया जाएगा जिसकी रिक्ति के लिए उनका चयन किया गया है।
- चयनित उम्मीदवार अंतर-मंडल स्थानांतरण / निगम केन्द्र नियुक्ति / निगम केन्द्र स्थापन नियुक्ति / विदेशी नियुक्ति के लिए एसएमजीएस-4 श्रेणी में अपनी पदोन्नति या 12 साल की सेवा, जो भी बाद में हो, के लिए पात्र नहीं होंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के साथ काम करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- एसबीआई में लिपिक/परिबी संवर्ग में कार्यरत उम्मीदवार और अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- एसबीआई में अधिकारी श्रेणी से स्थान-पत्र देने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

पात्रता मानदंड :

(ए) आवश्यक शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता जिसमें एकीकृत दोहरी डिग्री (आईटीडी) शामिल है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे।

(बी) आयु सीमा : (30.09.2022 को) : 21 वर्ष से कम नहीं और 30 वर्ष से अधिक नहीं।

ऊपरी आयु में छूट, वर्षों में, इस प्रकार है -

1. अ.जा. / अ.ज.जा. - 05 वर्ष	2. अ.पि.व. - 03 वर्ष	5. पीडब्ल्यूबीडी (सामान्य/ईडब्ल्यूएस) - 10 वर्ष
3. पीडब्ल्यूबीडी (अ.जा. / अ.ज.जा.) - 15 वर्ष	4. पीडब्ल्यूबीडी (अ.पि.व.) - 13 वर्ष	
6. ईडब्ल्यूएस / सीओ / ईसीओ / एसएससीओ / जिन्होंने 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान की है और जिन्होंने उनका कार्यभार पूरा होने पर मुक्त किया गया है (उन लोगों सहित जिनका कार्यभार आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना है) सैन्य सेवा के संबंध में उत्तरदायी कदाचार या अश्रमता या शारीरिक दिव्यांगता या अमान्यता के कारण बर्खास्तगी या छुट्टी।		05 वर्ष

टिप्पणी : आयु में संघी छूट उपरोक्त नदों के अंतर्गत या किसी अन्य पद के संयोजन में उपलब्ध नहीं होगी।

(सी) अनुभव (आवश्यक शैक्षणिक योग्यता परवर्तित), 30.09.2022 को :

भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति बैंक या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एक अधिकारी के रूप में 30.09.2022 को न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव (आवश्यक शैक्षणिक योग्यता परवर्तित), उम्मीदवारों को उनके मौजूदा / पिछले नियोजन(ओं) द्वारा प्रमाणित जॉब प्रोफाइल जमा करनी होगी, जिसके साथ वे कार्यरत हैं/थे; यदि उनकी जॉब प्रोफाइल भारतीय स्टेट बैंक के स्केल-1 जनरलिस्ट ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल से पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाती है या उससे अलग होती है तो ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(डी) स्थानीय भाषा :

किसी विशेष मंडल की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन के पंजीकरण के समय उम्मीदवार द्वारा चयनित उस मंडल की निर्दिष्ट स्थानीय भाषाओं में से किसी एक (प्रत्येक मंडल के लिए उल्लेखित) में कुशल (पढ़ना, लिखना और समझना) होना चाहिए। लागू मंडल की निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा के ज्ञान की परीक्षा चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आयोजित की जाएगी। इसे बैंक में शामिल होने से पहले अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों (ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर) के लिए आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति की पेशकश नहीं की जाएगी। 10 वीं या 12 वीं कक्षा की अंकावली / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार, इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने लागू मंडल की निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन एक विषय के रूप में किया है, उन्हें भाषा की परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।

चयन प्रक्रिया :

चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग और साक्षात्कार शामिल हैं।

परिचालनियाँ :

वर्तमान में, प्रारंभिक मूल वेतन 36,000/- है जो 36000-1490/7-46430-1740/2-49910-1990/7-63840 के वेतनमान में है, जो कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-1 प्लस 2 अग्रिम वेतन वृद्धियों पर लागू है (किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी संवर्ग में 2 वर्ष या उससे अधिक के कार्य अनुभव के लिए)। अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार डीए, एच.आर.ए / लीज रेंटल, सी.सी.ए, मेडिकल और अन्य भर्ती और अनुलाभों के लिए भी पात्र होंगे।

आवेदन करने से पहले, कृपया एसबीआई की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> पर विज्ञापन संख्या CRPD/CBO/2022-23/22 के अंतर्गत संपूर्ण विवरण देखें। किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया बैंक की उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "CONTACT US" लिंक के माध्यम से हमें लिखें।

बैंक मुद्रण त्रुटियों, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायी नहीं है।

मुंबई
दिनांक: 18.10.2022

महामुंबंधक

टेली/Tele : 91-033-2401-4132/33/34/35
फैक्स/Fax : 2401-0553



भारत सरकार टकसाल
INDIA GOVERNMENT MINT

(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)
(A Unit of Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.)
भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन Wholly owned by Govt. of India

अलीपुर Alipore, कोलकाता Kolkata - 700 053
Corporate Identity Number (CIN) of SPMCIL : [U22213DL2006GOI144763]

वेबसाइट/Website : <http://igmkolkata.spmcil.com>
मेल/Email : calmint@spmCIL.com



सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

Advt. No. : IGMK/HR (Estt.)/Rect./02/2022

भारत सरकार टकसाल, अलीपुर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), "भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई" (एसपीएमसीआईएल), एक मिनीरल ग्रेगी - 1, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, जो पूरी तरह से आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के स्वामित्व में है, उच्च क्षमता और प्रतिभाशाली पेशेवरों की भर्ती के लिए तत्पर है और निम्नलिखित पदों के भरने के लिए योग्य इच्छुक भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

India Government Mint, Alipore, Kolkata (West Bengal), a unit of "Security Printing and Minting Corporation of India Limited" (SPMCIL), a Miniratna Category-I, Central Public Sector Enterprise, wholly owned by Government of India under the administrative control of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, is looking forward to recruit high caliber & talented professionals and invites Online applications from eligible and willing Indian citizens for filling up the following posts:

Sl. No.	Name of the Post / Level	Scale of Pay (in IDA Pattern of pay scale)	No. of Posts	Essential Qualifications (As on 29.11.2022)	Age Limit As on 29.11.2022	Method of selection
01	Jr. Technician Turner (CNC Operator) Level-W-1	Rs. 18780 - 67390/- (Other allowances as admissible)	(UR-3) Total Post-03	Full time ITI Certificate in Turner Trade recognized from NCVT / SCVT.	18 years to 25 years	On-line Examination
02	Jr. Technician (Machinist) Level-W-1	Rs. 18780 - 67390/- (Other allowances as admissible)	Milling : 01	Full time ITI Certificate in Machinist Trade recognized from NCVT / SCVT.	18 years to 25 years	On-line Examination
			Grinder : 01 (UR-2) Total Post-02	Full time ITI Certificate in Machinist Trade (Grinder) recognized from NCVT / SCVT.		
03	Jr. Technician (Furnaceman) Level-W-1	Rs. 18780 - 67390/- (Other allowances as admissible)	(UR-1) Total Post-01	Full time ITI Certificate in Foundry / Blacksmith Trade recognized from NCVT / SCVT.	18 years to 25 years	On-line Examination
04	Jr. Technician (Welder) Level-W-1	Rs. 18780 - 67390/- (Other allowances as admissible)	(UR-1) Total Post-01	Full time ITI Certificate in Welder Trade recognized from NCVT / SCVT.	18 years to 25 years	On-line Examination
05	Jr. Technician (Mechanical) Level-W-1	Rs. 18780 - 67390/- (Other allowances as admissible)	(UR-2) Total Post-02	Full time ITI Certificate in Machinist Trade recognized from NCVT / SCVT.	18 years to 25 years	On-line Examination
06	Jr. Technician (Electronics) Level-W-1	Rs. 18780 - 67390/- (Other allowances as admissible)	(UR-1) Total Post-01	Full time ITI Certificate in Electronics Trade recognized from NCVT / SCVT.	18 years to 25 years	On-line Examination
07	Lab Assistant Level-W-1	Rs. 18780 - 67390/- (Other allowances as admissible)	(OBC-1, UR-3) Total Post-04	Full time ITI Certificate in Lab Assistant (Chemical Plant) recognized from NCVT / SCVT.	18 years to 25 years	On-line Examination
08	Sub-Station Operator Level-M-1	Rs. 18780 - 67390/- (Other allowances as admissible)	(UR-3) Total Post-03	Full time ITI Certificate in Electrician Trade recognized from NCVT / SCVT & possessing Wireman's Permit issued by state's Licensing Board (Electrical).	18 years to 25 years	On-line Examination
09	Supervisor (Assay) Level-S-1	Rs. 27600 - 95910/- (Other allowances as admissible)	(UR-2) Total Post-02	First class full time Diploma / Bachelor's Degree (B.E. / B. Tech.) in Chemical Engineering / Technology. Candidate should have studied inorganic Chemistry during course of study.	18 years to 30 years	On-line Examination

ऊपर उल्लिखित रिक्तियों की संख्या और आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अनंतिम है और भारत सरकार टकसाल, कोलकाता की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है। The number of vacancies and also number of reserved vacancies mentioned above are provisional and may vary according to the actual requirement of India Government Mint, Kolkata.

अंतिम चयन केवल ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट के आधार पर होगा। The final selection will be on Merit Basis as per marks obtained in On-line Examination only.

ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि के अनुसार आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / कॉलेज / संस्थान से आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने चाहिए। आयु मानदंड और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आदि की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। Applicant must have obtained the required educational qualifications from a recognized university / college / institute as on closing date of online registration. The age criteria and the required educational qualification etc. will be reckoned as on the closing date of submission of online applications.

महत्वपूर्ण तिथियाँ / IMPORTANT DATES:-

a) शुल्क के साथ आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट लिंक खुलने की तिथि Opening date of website link for Online registration for submission of application with fee	29.10.2022
b) शुल्क के साथ आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट लिंक की अंतिम तिथि Closing date of website link for Online registration for submission of application with fee	29.11.2022
c) ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि जो चयनित केंद्रों पर "ऑनलाइन" आयोजित की जाएगी। Tentative Date of Online Examination which will be conducted "Online" at selected centers.	December 2022 - January 2023
d) वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक Link for download of admit cards from the website	आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तारीखों के लिए भारत सरकार टकसाल, कोलकाता की वेबसाइट देखते रहें। Applicants are advised to keep checking the India Government Mint, Kolkata website for dates of downloading the Admit Card.

इसके अलावा, पूर्ण विज्ञापन के लिए कृपया हमारी वेबसाइट : <http://igmkolkata.spmcil.com> देखें। साथ ही, इस विज्ञापन का शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल उसी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर किसी भी अपडेट के लिए उक्त वेबसाइट को देखते रहें। Further, for complete advertisement please visit our website : <http://igmkolkata.spmcil.com>. Also, corrigendum to this advertisement, if any, will be displayed only on the same website. Therefore, applicants are advised to keep checking the said website for any updates from time to time.

हस्ता / Sd/-
प्रबंधक (मा.सं.) Manager (HR)
कृते मुख्य महाप्रबंधक For Chief General Manager

रोजगार के अवसर (संक्षिप्त जानकारी)

सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पद - एलडीसी, मल्टीटारिफिंग स्टाफ आदि पद संख्या - कुल 71 पद अंतिम तिथि - 07 नवंबर, 2022 http://sanskrit.nic.in/	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पद - ऑप्टिस पद संख्या - कुल 175 पद अंतिम तिथि - 17 नवंबर, 2022 https://www.aai.aero/	एमएस बिलासपुर पद - प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पद संख्या - कुल 89 पद अंतिम तिथि - 30 नवंबर, 2022 https://aiimsbilaspur.edu.in/	एफएसएसएआई पद - पर्सनल सेक्रेटरी व अन्य पद संख्या - कुल 80 पद अंतिम तिथि - 5 नवंबर 2022 https://www.fssai.gov.in/
आइआईटी, कानपुर पद - जूनियर असिस्टेंट पद संख्या - कुल 119 पद अंतिम तिथि - 09 नवंबर, 2022 https://www.iitk.ac.in/	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर पद - असिस्टेंट प्रोफेसर पद संख्या - कुल 68 पद अंतिम तिथि - 14 नवंबर, 2022 https://www.nitj.ac.in/	एम्स, रायबरेली पद - प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर आदि पद संख्या - कुल 100 पद अंतिम तिथि - 15 नवंबर, 2022 http://recruitment.aiimsrbl.edu.in	राजस्थान लोक सेवा आयोग पद - असिस्टेंट टाउन प्लानर पद संख्या - कुल 43 पद अंतिम तिथि - 9 नवंबर 2022 https://rpsc.rajasthan.gov.in/

(पृष्ठ 1 का अंश)

व्यक्तियों द्वारा स्वयं के स्तर पर एक या दो बकरी क्रय की जाती है, तो इकाई लागत का (दो बकरियों की एक इकाई) 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 10,000/- में से जो भी कम हो का अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। इस योजनान्तर्गत क्रय की गई बकरी का दो वर्ष तक बेचान नहीं किया जा सकेगा।

III आधारभूत संरचना विकास -

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक हो उन पीएमएजीवाई चयनित गाँवों में स्थानीय आवश्यकतानुसार आय सृजन में सहायक आधारभूत संरचना विकास (Infrastructure Development) के कार्य जैसे:- एनीकट निर्माण, तालाब निर्माण, कॉमन चर्क रोड, सामुदायिक हल्ट, कॉमन फैसिलिटी सेन्टर के अतिरिक्त नवीन गतिविधियों में रीमेन्ट कंक्रीट सड़क, इन्टर लॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, खरंजा एवं कलवर्ट/रफ्ट/पुलिया निर्माण, हैण्डपम्प स्थापना, सामुदायिक ट्यूबवैल, विद्यालयों/महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण, बस्ती विद्युतीकरण के कार्य, डॉ. अब्देकर सामुदायिक केन्द्र निर्माण, चिकित्सा भवनों हेतु अतिरिक्त अतिरिक्त कक्षा/लैब इत्यादि निर्माण गतिविधियों को भी सम्मिलित करते हुए कार्य कराये जायेंगे जिसके लिए प्रति ग्राम 10.00 लाख रु. तक की अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है। पीएमएजीवाई चयनित गाँवों में आधारभूत संरचना विकास कार्य संबल ग्राम विकास योजना की गाईडलाइन के अनुसार ही कराये जायेंगे।

IV अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम -

अनुसूचित जाति के शिक्षित बीपीएल बेरोजगार युवक/युवतियों को अनुजा निगम द्वारा स्थानीय आवश्यकता के व्यवसायों में राज्य स्तर/जिला स्तर/कला स्तर पर राजकीय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा निःशुल्क दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान है। प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता, कम से कम साक्षर होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चयन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा

प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रु 15000/- शुल्क निर्धारित किया हुआ है।

योजनान्तर्गत मोबाइल फोन/फ्रीज/टी.वी./ एयर कन्डीशनर की मरम्मत एवं रखरखाव, रिटेल चेन मैनेजमेन्ट, कार्यालय प्रबन्धन प्रणाली, फैशन टेक्नोलॉजी, ब्यूटी कल्चर एवं हेयर केयर ड्रेसिंग, आर्किटेक्चरल असिस्टेन्सशिप, डेस्क टॉप प्रिन्टिंग, ज्वैलरी डिजाइन, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, प्लम्बर, वेलडर होम केयर अटेन्डेन्ट आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ब.) अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना (एस टी पोप योजना)

अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु पैकेज ऑफ प्रोग्राम (एस.टी. पोप) योजनाओं में अनुदान सामान्यतः इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपये 10,000/- रुपये में जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान हेतु शत प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है। माडा एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार लघु एवं मध्यम ऋण नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैं।

आवेदक की पात्रताएं -

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
 2. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
 3. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो अथवा वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु. 54,300/- तथा शहरी क्षेत्र में रु. 60,120/- से अधिक नहीं हो, अथवा वार्षिक आय समकक्ष हो।
 4. आवेदक द्वारा पूर्व में, निगम की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो।
 5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।
- इन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आशार्थी जिलों में स्थित निगम कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।



सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

छठी मंजिल, प्लेट-बी, एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक, टावर-2, पूर्वी किडवई नगर नई दिल्ली-110 023 सीआईएन नं. U40106DL2011GOI225263

सेकी प्रतिभाशाली, नवोन्मेषी एवं कर्मठ उन्मीदवार, जो अपनी प्रामाणिक शैक्षणिक, अकादमिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के इच्छुक हैं, से युवा व्यावसायिक के विभिन्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	मासिक पारिश्रमिक
1.	युवा व्यावसायिक (हाइड्रोजन एनर्जी)	01	रु. 70,000/-
2.	युवा व्यावसायिक (ईवी-चारिंग स्टेशन)	01	रु. 70,000/-
3.	युवा व्यावसायिक (बैटरी एनर्जी स्टोरेज)	01	रु. 70,000/-
4.	युवा व्यावसायिक (रूफटॉप सोलर)	01	रु. 70,000/-
5.	युवा व्यावसायिक (व्यवसाय विकास)	01	रु. 70,000/-
6.	युवा व्यावसायिक (वित्त)	03	रु. 70,000/-
7.	युवा व्यावसायिक (विधि)	01	रु. 70,000/-
8.	युवा व्यावसायिक (सूचना प्रौद्योगिकी)	02	रु. 70,000/-
9.	युवा व्यावसायिक (प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग)	01	रु. 70,000/-
10.	युवा व्यावसायिक (नवीकरणीय ऊर्जा)	01	रु. 70,000/-
11.	युवा व्यावसायिक (मैरिट ट्रेडिंग)	01	रु. 70,000/-
12.	युवा व्यावसायिक (नई प्रौद्योगिकियाँ)	01	रु. 70,000/-

ध्यान दें: मानदंड, नियम व शर्तों के लिए इच्छुक उन्मीदवारों से अनुरोध है कि वे कृपया हमारी वेबसाइट www.seci.co.in 'करियर' सेक्शन को देखें। ऑनलाइन पंजीकरण 26.10.2022 (प्रातः 11.00 बजे) प्रारंभ होगा और 25.11.2022 (सायं 5.00 बजे) बंद होगा।

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रु 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

युवा संपादक
प्रदीप साधु
 निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
 राजस्थान, जयपुर
 मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
 हरी राम बडगुजर
 सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
 डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
 गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड - 302001, फोन - 2368398
 e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in